क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	20/6/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई बहस पूर्व प्रा. पत्र पर पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रा. पत्र के मद सं. (2) में वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दर्ज है, अतः प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है, दूसरा यदि अप्रार्थी सं. (1) जबरन प्रार्थी की भूमि का बेचान करेगा तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होने होने की पूर्ण संभावना है। अतः प्रा. पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. (1) को ~~विवादित~~ चरण सं. (2) में वर्णित विवादित पर 1/2 /10 हिस्से पर रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति ~~बन~~ बनाए रखने हेतु ताफैसलावाद पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर व जावे (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)